

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये  
मध्यप्रदेश

क्रमांक / आई.डी.एस.पी. / 2020 / १२७१  
प्रति,

भोपाल, दिनांक ३०/०७/२०२०

१. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
२. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।

विषय:- कोविड-19 की जांच रिपोर्टिंग के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत के संबंध में लेख है कि कोविड-19 की जांच रिपोर्टिंग को विसंगतियों एवं रिपोर्टिंग में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने हेतु निम्नलिखित निर्णय प्रसारित किये जाते हैं : -

१. कोविड-19 जांच के लिए जिलों में एकत्रित सेम्पल यदि शासकीय लैबों की क्षमता से अधिक एकत्रित किए जा रहे हैं तो समस्त अतिरिक्त एकत्रित सेम्पलों के बैकलाग समाप्त कर तुरन्त रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉपोरेशन लिमिटेड, भोपाल द्वारा चिन्हित लैब सुप्राटेक माइक्रोपैथ लैब को ही सेम्पल भेजा जाना है एवं इन जांचों का भुगतान लैब को निर्धारित दर राशि रु. 1980/- (समस्त कर सहित) प्रति टेस्ट के मान से किया जायेगा।
२. यह स्पष्ट किया जाता है कि, शासकीय लैबों की क्षमता से अधिक एकत्रित समस्त सेम्पलों को सुप्राटेक लैब को ही दिये जाये। इसके अतिरिक्त जिन निजी अस्पतालों में कोविड-19 के उपचार हेतु DCH बनायें गये हैं और उन अस्पतालों को ICMR द्वारा कोविड-19 जांच की मान्यता प्राप्त है तो वो निजी अस्पताल जैसे चिरायु, अरविंदो एवं अमलतास मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को शासकीय कोविड-19 के जांच के सेम्पलों की जांच निर्धारित दर राशि रु. 1980/- (समस्त कर सहित) प्रति टेस्ट के मान से की जाने की अनुमति होगी।
३. समस्त कोविड-19 जांच करने वाली लैबों की रिपोर्टिंग का समय ६ बजे शाम से आगले दिन ६ बजे तक का होगा। शाम ६ बजे प्रत्येक लैब अपनी संस्था में जांच किये गये सेम्पल की रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं आई.डी.एस.पी. को ई-मेल करेंगे, जिससे रिपोर्ट अनुसार कन्टेन्टमेंट की रणनीति बनाई जा सके।
४. समस्त कोविड-19 जांच करने वाली लैब प्रतिदिन शाम ६ बजे तक जांच किये गये सेम्पलों की रिपोर्ट श्री प्रशांत मलैया, उपसंचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रक समिति भोपाल संबंधित जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला आई.डी.एस.पी. यूनिट एवं स्टेट आई.डी.एस.पी. यूनिट को ई-मेल द्वारा भेजेंगे।

5. जिलेवार रिपोर्ट से संबंधित जानकारी श्री विनित तिवारी, स्टेट डाटा मैनेजर (आई.डी.एस.पी.) मोबाईल न. 8951001011 एवं ई-मेल आई.डी. vineet.fromsrn@gmail.com द्वारा संपर्क किया जा सकता है।
6. श्री विनित तिवारी, स्टेट डाटा मैनेजर (आई.डी.एस.पी.) द्वारा लैब एवं जिलों से प्राप्त रिपोर्ट को एकजाइ करेंगे एवं डेसबोर्ड के लिये रिपोर्टिंग करने की जिम्मेदारी अपर संचालक, आई.डी.एस.पी. की होगी।
7. कोविड-19 जांच के सम्पत्तों के संबंध में लैबों से समन्वय स्थापित करने के लिए डॉ. रुबी खान, उपसंचालक, लैब से सम्पर्क करे।

उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

*.....*  
आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक आई.डी.एस.पी./2020/ १२४२

भोपाल, दिनांक ३०/०७/2020

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. समस्त संभाग आयुक्त, मध्यप्रदेश।
6. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
8. अपर संचालक, आई.डी.एस.पी. स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
9. समस्त अपर/संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
10. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविधालय, मध्यप्रदेश।
11. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
12. उपसंचालक (लैब सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम) स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
13. उपसंचालक (स्टेट आई.डी.एस.पी. यूनिट) स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
14. श्री प्रशांत मलैया, उपसंचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रक समिति भोपाल।
15. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
16. समस्त सर्विलेंस अधिकरी जिला आई.डी.एस.पी. यूनिट, मध्यप्रदेश।
17. श्री विनित तिवारी, स्टेट डाटा मैनेजर (आई.डी.एस.पी.) स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
18. प्रभारी एम.आई.एस. डिवीजन की ओर विभागीय वेबासाईट पर अपलोड करने हेतु।

*.....*  
आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें २३/७/२०२०  
मध्यप्रदेश